न्यायालय जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,कौशाम्बी।

UPKS010020702026

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या : 69/2026

प्रमोद कुमार पुत्र विनोद कुमार कुशवाहा, निवासी वार्ड नं–3, कस्बा अझुआ, थाना सैनी, जनपद कौशाम्बी।

.....प्राथी/अभियुक्त।

बनाम

उ0प्र0सरकार .....विपक्षी।

मु.अ.सं.–192/2010
धारा–419, 420, 467, 468, 471 भा.दं.स व
धारा–6/10 परीक्षा अधिनियम
थाना–सैनी
जनपद–कौशाम्बी।

प्रार्थी की ओर से.....श्री ज्ञानेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, एडवोकेट।
श्री डी.के. श्रीवास्तव, एडवोकेट।
राज्य की ओर से.....श्री अनिरूद्ध मिश्र, डी.जी.सी. (क्रिमि.)।

08.07.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त प्रमोद कुमार की ओर से यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र मु0अ0सं0–192/2010, धारा–419,420,467,468,471 भा.दं.स व धारा–6/10 परीक्षा अधिनियम, थाना–सैनी, जनपद–कौशाम्बी के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2. अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी/अभियुक्त प्रमोद कुमार का शपथ पत्र दाखिल किया गया है जिसमें यह कथन किया गया है कि यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र हैं। उसके सम्बन्ध में किसी अन्य न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय में इस प्रार्थना पत्र के अलावा अन्य कोई प्रार्थना पत्र विचाराधीन नहीं है।

3. अभियोजन के अनुसार वादी जगदीश्वर सिंह केन्द्र व्यवस्थापक श्रीमती कान्ती देवी बालिका इण्टर कालेज अझुवा कौशाम्बी ने दिनांक 27.03.2010 को समय पूर्वान्ह 08.30 बजे उपजिलाधिकारी, सिराथू के साथ सघन जांच की जिसमें कक्ष संख्या 06 में अनुक्रमांक 1990270 विकास कुमार के स्थान पर गुरू प्रसाद तथा कक्ष संख्या 12 में अनुक्रमांक 1990294 किरन देवी के स्थान पर सुष्मिता पटेल परीक्षा देते पकड़े गये।

4. प्रार्थी/अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि उसको मुकदमा उपरोक्त में रंजिशन फंसाया गया है। वह निर्दोष है। उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। प्रार्थी द्वारा कोई भी धोखाधड़ी नहीं की गयी और न ही किसी प्रकार से कोई धोखाधड़ी करते हुए प्रपत्र तैयार किया गया है। प्रार्थी की जमानत थाना हाजा द्वारा पूर्व में स्वीकृत की जा चुकी है। अतः उसका अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

5. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का भी अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

6. अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी को सुना तथा प्रस्तुत प्रपत्रों का अवलोकन किया।

7. अभियोजन कथानक के अनुसार जगदीश्वर सिंह केन्द्र व्यवस्थापक श्रीमती कान्ती देवी बालिका इण्टर कालेज अझुवा कौशाम्बी ने दिनांक 27.03.2010 को समय पूर्वान्ह 08.30 बजे उपजिलाधिकारी, सिराथू के साथ सघन जांच की जिसमें कक्ष संख्या 06 में अनुक्रमांक 1990270 विकास कुमार के स्थान पर गुरू प्रसाद तथा कक्ष संख्या 12 में अनुक्रमांक 1990294 किरन देवी के स्थान पर सुष्मिता पटेल परीक्षा देते पकड़े गये। च उपरोक्त प्रकरण में दौरान विवेचना विवेचक द्वारा गवाहों के बयान अंकित किए गये हैं। विवेचक को दिये अपने बयान में वादी मुकदमा जगदीश्वर सिंह ने कहा है कि दिनांक 27.03.10 को समय पूर्वाह्न 03.30 बजे श्रीमान उपजिलाधिकारी, सिराथू श्री माता फेर के साथ कालेज में परीक्षार्थियों की सघन जॉच की जा रही थी तो कक्ष संख्या–6 में अनुक्रमांक 1990270 विकास कुमार के स्थान पर गुरू प्रसाद परीक्षा देते हुए पकड़े गये तथा कक्ष संख्या 12 में परीक्षार्थी अनुक्रमांक 1990294 किरन देवी के स्थान पर सुष्मिता पटेल पकड़ी गयी। इनके यहॉ सचल दल में श्री मुलायम सिंह व समर सिंह थे। कक्षा संख्या 6 में कक्ष निरीक्षक रामलाल निर्मल व श्री प्रमोद कुमार थे तथा कक्ष संख्या 12 में कक्ष निरीक्षक उदय राज सिंह व श्रीमती अंजली त्रिपाठी थी। वादी मुकदमा के उपरोक्त बयान से स्पष्ट है कि जिन कक्षों में उक्त लोग परीक्षा दे रहे थे, उनमें से एक में कक्ष निरीक्षक के रूप में प्रार्थी/अभियुक्त भी तैनात था। इस प्रकार उपरोक्त अपराध में प्रार्थी/अभियुक्त सं संलिप्तता के संबंध में विवेचक द्वारा प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य संकलित करते हुए आरोप पत्र संबंधित न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त को मिथ्यारोपित किये जाने का कोई ठोस आधार विद्यमान नहीं है। अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों, इस स्तर पर मामले के गुण–दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर्याप्त आधार न पाये जाने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

<u>आदेश</u>

उपरोक्त विश्लेषण के आलोक में, प्रार्थी/अभियुक्त प्रमोद कुमार की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं पाया जाता है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

प्रभारी सत्र न्यायाधीश,
कौशाम्बी।
दिनांकः08.07.2026